फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

भंवरीदेवी बनाम् मदनलाल

किस्म प्रकरण : मुकदमा नं.– 133/2019

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलरा जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
17/9/20	बमुलाहजा उपरोक्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मि० है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर	

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 133/2019

वादी –

भंवरीदेवी पत्नि स्व. दौलाराम
जाति–जाट, तहसील–डिडियाखुर्द जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मदनलाल पुत्र स्व. दौलाराम
जाति–राजपूत, निवासी–डिडियाखुर्द, तहसील–जायल (नागौर)
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री इस्लामुदीन काजी
प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 17/09/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 माता व पुत्र है तथा एक परिवार के सदस्य है। इनके पुश्तैनी बढेर के खेताय ग्राम डिडियाखुर्द तहसील जायल में खसरा नं. 136 रकबा 23.03 बीघा के रूप में स्थित है। जिसपर पक्षकारान सुविधा अनुसार काश्त करते रहे है। वादीनी के पति स्व. दोलाराम के फौत होने पर मुतदाविया खेताय की भूमि का प्रतिवादी नं. 1 ने सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसकी जानकारी वादीनी अनपढ़ होने से जानकारी नहीं हुई। मुतदाविया खेताय की भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा निहित है तथा अपने हिस्से की भूमि की घोषणा खातेदारी करवाने की अधिकारी है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुतदाविया खेताय की भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा उक्त भूमि में रखते हुये सहखातेदार घोषित किया जावे। तथा वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने वकालात नामा पेश करते हुये दिनांक 13.08.2020 को राजीनामा पेश किया। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण तथा प्रकरण में पक्षकारान के मध्य में राजीनामा हो जाने से विवाद्यक विन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

साक्ष्यवादी में वकील वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम डिडियाखुर्द तहसील जायल संवत् 2069-2072 खाता संख्या 146/152 खसरा नं. खसरा नं. 136 रकबा 23.03 बीघा प्रदर्श-1 पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में वाद पत्र को जरिये राजीनामा दिनांक 13.08.2020 के स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, राजीनामा दिनांक 13.08.2020 पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पैरा संख्या 9 के अनुसार खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा चाहा है। तथा मुतदाविया भूमि स्व. दोलाराम की खातेदारी की थी जिसका फौतगी नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भरा गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में वादीनी स्व. दोलाराम की पत्नि का नाम भी उक्त फौतगी नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु तत्समय फौतगी नामान्तकरण केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज किया गया जो कि उचित नहीं है। अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद की पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा नकल जमाबंदी के अवलोकन से सम्पुष्टि होती है। फलतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : —

यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम डिडियाखुर्द तहसील जायल के खसरा नं. 136 की भूमि में वादीनी भंवरीदेवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मदनराम की सहखातेदारी में घोषित की जाती है तथा वादीनी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा पृथक-पृथक घोषित किया जाता है। माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तद्नुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

17/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 133 / 2019

वादी –
भंवरीदेवी पत्नि स्व. दौलाराम
जाति–जाट, तहसील–डिडियाखुर्द जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. मदनलाल पुत्र स्व. दौलाराम
जाति–राजपूत, निवासी–डिडियाखुर्द, तहसील–जायल (नागौर)
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री इस्लामुदीन काजी
प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी बस्तीराम ढाका व राजपैरोकार प्रतिवादी 1 उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

1. ग्राम डिडियाखुर्द तहसील जायल के खसरा नं. 136 की भूमि में वादीनी भंवरीदेवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मदनराम की सहखातेदारी में घोषित की जाती है तथा वादीनी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा पृथक–पृथक घोषित किया जाता है।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 133 /2019
गंवरीदेवी बनाम मदनलाल वगैरह

तीज – गुबलिग – बाबत –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/09/2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

17/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner